



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 भाद्र 1934 (श0)  
(सं0 पटना 491) पटना, बुधवार, 19 सितम्बर 2012

---

विधि विभाग

अधिसूचना

19 सितम्बर 2012

एस0ओ0 167, दिनांक 19 सितम्बर 2012—विधि विभाग की अधिसूचना संख्या ए/एवी-01/2000, 3324/जे0, दिनांक 07.04.2000 के द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिये इस प्रावधान के साथ किया गया था कि आवश्यकतानुसार इसकी कालावधि बढ़ाई जा सकेगी।

उक्त अधिसूचना के आलोक में अधिसूचना संख्या 3884/जे0, दिनांक 03.09.2003, अधिसूचना संख्या 4149/जे0, दिनांक 10.11.2006 एवं अधिसूचना संख्या 9352, दिनांक 24.12.2009 द्वारा समय-समय पर तीन-तीन वर्षों के लिए कालावधि बढ़ाई जाती गयी थी।

पुनः लोक हित में बिहार राज्य विधि आयोग की कालावधि का विस्तार दिनांक 07.09.2012 से अगले तीन वर्षों के लिये किया जाता है।

(सं0 सं0 ए/ए0बी0-01/06-7000/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के विधि सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 491-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>